बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.......................

संख्या–08/मु०4–03/2022..................../प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश संख्या–1128 दिनांक 16.12.2016 के द्वारा श्रीमती ललिता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केसठ, बक्सर–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की कंडिका–14 की उप कंडिका (XI) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त किया गया। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा अधिरोपित दण्ड को अपीलीय प्राधिकार द्वारा यथावत् रखा गया।

2. उक्त आदेशों के विरूद्ध श्रीमती ललिता कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद संख्या 10460/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 09.01.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"11. While leaving it for the Chief Secretary to take appropriate action, this Court set aside the order dated 16.12.2016 passed by the Director, Elementary Education, whereby the petitioner was dismissed from service as the enquiry conducted by the enquiry officer by the Regional Deputy Director, Purnea is vitiated. Consequentially the appellate order passed by the Secretary dated 04.04.2018 is also quashed and set aside with direction to the Commissioner, Departmental Enquiry, now conduct an enquiry afresh on the charges levelled against the petitioner, in accordance with the rules. The Disciplinary Authority shall pass accordingly fresh order.

12. The petitioner who was under suspension at the time of passing of the impugned order dated 16.12.2016, shall continue to remain under suspension and would be only entitled to subsistence allowance. The salary for the intervening period shall not be payable but continuity of service shall be granted to the petitioner shall not be payable in terms of no work no pay.

13. The writ petition is allowed as above. The enquiry be concluded within a period of six months."

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के आदेश संख्या–1128 दिनांक 16.12.2016 एवं सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार के आदेश संख्या 472 दिनांक 04.04.2018 को निरस्त कर दिया गया एवं विभागीय जाँच आयुक्त के स्तर से नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 414 दिनांक 24.05.2023 द्वारा श्रीमती ललिता कुमारी,

तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केसठ, बक्सर को पुनर्बहाल करते हुए उनकी बर्खास्तगी की तिथि 16.12.2016 से अगले आदेश तक निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह् भत्ता अनुमान्य किया गया।

5. उक्त आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 463 दिनांक 02.06.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की कंडिका 17(3) के तहत श्रीमती ललिता कुमारी के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए उनसे लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में श्रीमती कुमारी द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्रीमती ललिता कुमारी से प्राप्त बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में उनका बचाव पक्ष स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 580 दिनांक 12.07.2023 द्वारा श्रीमती ललिता कुमारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 581 दिनांक 12.07.2023 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना से उक्त अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

7. श्रीमती ललिता कुमारी दिनांक 29.02.2024 को सेवानिवृत्त हुईं। अतएव प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 399 दिनांक 14.05.2024 द्वारा श्रीमती ललिता कुमारी को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 29.02.2024 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी०) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही में सम्परिवर्तित किया गया।

8. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 4033 दिनांक 24.06.2008 एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 10775 दिनांक 07.06.2023 के आलोक में प्रस्तुत मामले को सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना–सह–जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं तत्पश्चात् सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना–सह–जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन हेतु हस्तांतरित किया गया। मामले की सुनवाई पूर्ववर्ती जाँच आयुक्त एवं वर्तमान संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभिन्न तिथियों में की गई एवं दिनांक 10.04.2026 को उभय पक्षों को सविस्तार सुनने के उपरांत अंतिम सुनवाई सम्पन्न हुई।

9. संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 49/CCT दिनांक 10.05.2026 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पोस्ट ट्रैप मेमोरण्डम के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि यह ट्रैप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में हुआ। आरोपित पदाधिकारी के कथनानुसार उन्हें सीधे BRC, केसठ, जहाँ वे शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही थीं, से ट्रैप किया गया। बहरहाल आरोपी पदाधिकारी (तत्कालीन BEO, केसठ) के कार्यालय और BRC, केसठ एक ही प्रांगण में अवस्थित है। परिवादी का नाम श्री लक्ष्मण प्रसाद, पिता–श्री मुख्तार राम, ग्राम पोस्ट–भदवर है। पोस्ट ट्रैप मेमोरण्डम में दो स्वतंत्र गवाहों का नाम अंकित है–(i) श्री राजेन्द्र कुमार, पिता–श्री चन्द्र विजय राम, ग्राम पोस्ट–भदवर एवं (ii) श्री शेषनाथ राम, पिता–स्व० रामपति राम, ग्राम पोस्ट–भदवर अर्थात् दोनों का गाँव भदवर है तथा परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद, पिता–श्री मुख्तार राम का गाँव भी भदवर ही है। भदवर से BRC, केसठ की दूरी 15 कि०मी० है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने पक्ष में चार शिक्षकों की गवाही करायी गयी, जो ट्रैप की तिथि (दिनांक–18.09.2014) को BRC, केसठ में BEO से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इनके प्रतिपरीक्षण में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने यह विरोध कभी नहीं किया कि उस दिन प्रशिक्षण नहीं हो रहा था। ऐसे हालात में माना जाना चाहिए कि दिनांक 18.09.2014 को BRC, केसठ में शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा था। इस आशय का movement order भी कई प्रधानाध्यापकों ने अपने रजिस्टर में लिखा है, जिसकी छायाप्रति साक्ष्य के रूप में आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया। ऐसा सोच भी पाना बहुत कठिन प्रतीत होता है कि जब BEO बहुत सारे शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही होती हैं, उसी समय वे खुलेआम किसी से नगद रिश्वत प्राप्त करेंगी।

जिन दो गवाहों का नाम स्वतंत्र गवाह के रूप अंकित है, वे परिवादी के गाँव के हैं एवं उनका सरनेम वही है, जो परिवादी का है। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि उसी गाँव के दो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ट्रैप स्थल के आसपास स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार बैठे थे। ऐसे में उनकी स्वतंत्रता संदिग्ध हो जाती है।

पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम पर जिन दो स्वतंत्र गवाहों का नाम अंकित है, उनमें से एक का हस्ताक्षर पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम पर नहीं है। पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम पर श्री शेषनाथ राम का हस्ताक्षर तो है, परन्तु श्री राजेन्द्र कुमार का हस्ताक्षर नहीं है। पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम पर एक तीसरे व्यक्ति, श्री राजेश कुमार, जिसका पूरे फँसाने में कहीं जिक्र नहीं है, का हस्ताक्षर है। यह हस्ताक्षर irrelevant है। जिस स्वतंत्र गवाह का नाम पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम पर लिखा हुआ है, उनमें से एक का हस्ताक्षर नहीं होना एक material ommission है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के अनुशीलन से आरोपित पदाधिकारी पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

10. संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित उक्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्रीमती ललिता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केसठ, बक्सर–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को उक्त आरोपों से मुक्त किया जाता है। श्रीमती कुमारी को सभी प्रकार का सेवांत लाभ अनुमान्य किया जाता है एवं सेवानिवृत्ति तिथि तक की सभी अवधि (निलंबन अवधि सहित) को सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी एवं पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित की जाएगी। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कुछ भी देय नहीं होगा।

इसके साथ ही मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/–

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 8/मु०4–03/2022.................. पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 49CCT दिनांक 10.05.2026 के आलोक में/अवर सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 50CCT दिनांक 13.05.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 8/मु०4–03/2022......937 पटना, दिनांक 07.08.2026

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–17(पेंशन शाखा)/जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, बक्सर जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना/बक्सर/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती ललिता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केसठ, बक्सर–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता–दिवान पैलेस, फ्लैट नं०–203, अलकापुरी, रोड नं०–10, गर्दनीबाग, पटना–800002, मो०–9939945944 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना एवं संबंधित को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।